न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 05/2026 अपील

उनवान

श्रीमति राजकुमारी पत्नि ईश्वरलाल खोईवाल निवासी केयर ऑफ खोईवाल फिलिंग स्टेशन, कोटडी रोड, अगरपुरा वार्ड न0 9 तहसील व जिला भीलवाडा।

—अपीलार्थी

बनाम

निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाडा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 20.02.2026

1. अपीलार्थी — स्वंय उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 02/06/2026

1— अपीलार्थी द्वारा अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि— अपीलान्ट द्वारा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित पंचायत वृत धुमडास के वार्ड सं० 9 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप अन्तर्गत नियम 13 (2) राजस्थान पंचायतीराज नियम प्रस्तुत किया, जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट के आवेदन की जांच करने हेतु जरिये पत्रांक / निर्वाचन /2026/2067 दिनांक 06—02—2026 के तहसीलदार, भीलवाडा को प्रेषित किया गया और तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा जांच हेतु पटवारी, हलेड को जरिये पत्राक/निर्वाचन/2026/05—06 दिनांक 09—02—2026 के जांच हेतु आदेशित किया गया। पटवारी हलेड द्वारा बिना मौके पर गये एक मौका पर्चा दिनांक 16—02—2026 को तैयार करना बताया जाकर मौके पर्चे में मनमाने तौर यह वर्णित किया कि अपीलान्ट/आवेदक के संलग्न दस्तावेजों में पता तिलक नगर, भीलवाडा का है तथा आस पडौस से जानकारी की गई तो तिलक नगर में निवासरत है। पटवारी द्वारा अपने मौके पर्चे में यह वर्णित किया गया कि अपीलान्ट की पत्नी के नाम पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली के साथ संलग्न है। पेट्रोल पम्प के मौके पर पहुंचकर जानकारी की व मौका देखा तो पेट्रोल पम्प के पीछे कमरे बना रखे है तथा गायो का बाडा बना रखा है। पटवारी द्वारा अपने मौके पर्चे में यह मनमाने तौर वर्णित किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट से अगरपुरा गांव में निवास करने सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बोला गया, परन्तु प्रस्तुत नहीं किए गए। अपीलान्ट द्वारा बिजली का बिल कॉमर्शियल प्रस्तुत किया गया है। उक्त पटवारी हलेड अनिता सोलंकी कभी भी अपीलान्ट के आवेदनपत्र की जांच हेतु अपीलान्ट के पेट्रोल पम्प के पास स्थित अपीलान्ट के निवास पर उपस्थित ही नहीं हुई और न ही आस पडौस के किन्हीं व्यक्तियों से अपीलान्ट के निवास के बाबत कोई जानकारी अथवा पूछताछ की गई। पटवारी द्वारा जो मौका पर्चा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तैयार किया गया, उस पर किसी मौतबीर व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे प्रमाणित है कि उक्त पटवारी द्वारा बिना मौके पर जाए मनमाने तौर मौका पर्चा तैयार किया गया। पटवारी हलेड द्वारा अपने उक्त मनमाने मौके पर्चे के साथ रिपोर्ट तहसीलदार, भीलवाडा को प्रस्तुत की और तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा उक्त मनमाने तौर तैयार किए गए मौके पर्चे के आधार पर अपीलान्ट का नाम नहीं जोडे जाने की अनुशंषा की रिपोर्ट कमांक 29 दिनांक 20–02–2026 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम), भीलवाडा को प्रस्तुत की गई और पटवारी द्वारा तैयार की गई गलत मौका रिपोर्ट निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा अपीलान्ट का आवेदनपत्र प्रारूप–1 को अस्वीकार किए जाने का निर्णय व आदेश दिनांक 20–02–2026 को पारित किया गया, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2– निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 20–02–2026 में यह वर्णित किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलान्ट का पता 10–ई–42, तिलक नगर, भीलवाडा का है तथा संलग्न वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) के बिजली के बिल में आवेदक का पता खोईवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे, कोटडी रोड, अगरपुरा, भीलवाडा अंकित है। उक्त तथ्यों से यह पूर्णतया प्रमाणित था कि अपीलान्ट एवं उसके परिवारजन खोईवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे स्थित मकान में निवासरत है। यदि पटवारी हलेड वास्तव में मौके पर आती तो निश्चित रूप से अपीलान्ट एवं उसके परिवारजन के वहां निवासरत होना प्रमाणित पाती। जहां तक 10–ई–42 तिलक नगर, भीलवाडा के पते का प्रश्न है, अपीलान्ट के दो पुत्र है, जिनकी शिक्षा दीक्षा हेतु अपीलान्ट द्वारा यह तिलक नगर वाला मकान निर्मित किया गया था, जहां पर उसके दोनों पुत्र अपने दादा–दादी के साथ रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे है। अपीलान्ट एवं उसके पति ग्राम अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा में निवासरत होकर अपने पेट्रोल पम्प का व्यवसाय, पशुपालन एवं कृषि कार्य करते आ रहे है। इस अपील के साथ में अपीलान्ट के पेट्रोल पम्प खोईवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे स्थित आवासीय मकान के फोटोग्राफ संलग्न है। इस प्रकार अपीलान्ट का आवेदन निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा निरस्त करने में भारी भूल की है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

3– अपीलान्ट ग्राम अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा में निवासरत चली आ रही है, जिससे ही अपीलान्ट का नाम विधानसभा क्षेत्र माण्डल – 178 में भाग सं0–265 अगरपुरा में मतदाता कमांक 1061 पर दर्ज है और अपीलान्ट के ईपीआईसी नम्बर–LKD1678101 है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट मय परिवार ग्राम अगरपुरा में निवासरत चली आ रही है, परन्तु निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हलेड द्वारा अपीलान्ट के साथ राजनैतिक द्वेषतावश अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के कहने पर बिना मौके पर जाये मनमाने तौर मौका पर्चा तैयार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए बिना मौके की स्थिति देखे व आस पडौस के व्यक्तियों से पूछताछ किए बिना मौका पर्चा तैयार कर तहसीलदार, भीलवाडा को प्रेषित किया गया, जिसे मुख्य आधार बनाकर निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट द्वारा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाड़ा के निर्णय व आदेश दिनांक 20–02–2026 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 27–02–2026 को प्रस्तुत किया गया और अपीलान्ट को प्रतिलिपि दिनांक 06–03–2026 को जारी की गई। इस प्रकार अपीलान्ट की यह अपील विहित समयावधि 15 दिवस के प्रस्तुत की जा रही है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट द्वारा पंचायत वृत धुमडास, वार्ड सं0 9, तहसील व जिला भीलवाडा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदनपत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम पंचायत वृत धुमडास के वार्ड सं0 09 की निर्वाचक नामावली में जोडे जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

4— **बाद जांच प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को पंजीबद्ध कर प्रत्यर्थीगण को वजह प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर। प्रत्यर्थी से रिपोर्ट प्राप्त। अलीण्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुए बहस में निवेदन किया गया कि—** अपीलान्ट ग्राम अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा में निवासरत चली आ रही है, जिससे ही अपीलान्ट का नाम विधानसभा क्षेत्र माण्डल — 178 में भाग सं0—265 अगरपुरा में मतदाता कमांक 1061 पर दर्ज है और अपीलान्ट के ईपीआईसी नम्बर— LKD1678101 है, इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलान्ट मय परिवार ग्राम अगरपुरा में निवासरत चली आ रही है, परन्तु निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। पटवारी हलेड द्वारा अपीलान्ट के साथ राजनैतिक द्वेषतावश अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के कहने पर बिना मौके पर जाये मनमाने तौर मौका पर्चा तैयार कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए बिना मौके की स्थिति देखे व आस पडौस के व्यक्तियों से पूछताछ किए बिना मौका पर्चा तैयार कर तहसीलदार, भीलवाडा को प्रेषित किया गया, जिसे मुख्य आधार बनाकर निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एसडीओ), भीलवाडा द्वारा निर्णय व आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट द्वारा पंचायत वृत धुमडास, वार्ड सं0 9, तहसील व जिला भीलवाडा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदनपत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट का नाम पंचायत वृत धुमडास के वार्ड सं0 09 की निर्वाचक नामावली में जोडे जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

5— **प्रत्यर्थी की ओर पत्र कमांक 140 दिनांक 24.03.2026 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया गया कि—** श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री ईश्वर लाल खोईवाल निवासी खोईवाल फिलिंग स्टेशन के पीछे कोटडी रोड अगरपुरा तहसील एवं जिला भीलवाडा द्वारा ग्राम पंचायत धुमडास के वार्ड नम्बर 09 ग्राम अगरपुरा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करवाने हेतु निर्धारित प्रारूप प्रपत्र 01 प्रस्तुत किया। इस कार्यालय के पत्र कमांक 67 दिनांक 06.02.2026 से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट अनुसार श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री ईश्वर लाल खोईवाल ग्राम अगरपुरा में निवासरत नहीं है। प्रार्थीया ने ग्राम अगरपुरा में निवास के संबंध में कोई दस्तावेज यथा राशन कार्ड, जनआधार कार्ड व वोटर लिस्ट की प्रतियां प्रस्तुत नही की। दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने एवं ग्राम अगरपुरा में निवासरत नही होने से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा ने प्रार्थीया का नाम ग्राम पंचायत घुमडास के वार्ड नम्बर 09 ग्राम अगरपुरा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित नही किये जाने की अनुशंषा की थी।

6— प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र (प्रारूप प्रपत्र 01) प्रस्तुत करते समय विधानसभा क्षेत्र माण्डल—178 के भाग संख्या 265 अगरपुरा की मतदाता सूची में नाम होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री ईश्वर लाल खोईवाल ग्राम पंचायत धुमडास के वार्ड संख्या 09 ग्राम अगरपुरा निवासरत नहीं है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये उसमें प्रार्थीया का निवास स्थान 10—ई—42 तिलकनगर भीलवाडा अंकित है। प्रपत्र 01 की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

फोटो प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम अगरपुरा में निवास के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं ग्राम अगरपुरा में निवासरत नहीं होने से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा ने प्रार्थीया का नाम ग्राम पंचायत घुमडास के वार्ड नम्बर 09 ग्राम अगरपुरा की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई।

7– प्रार्थीया द्वारा प्रारूप 01 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पासपोर्ट, आधार कार्ड अनुसार प्रार्थीया का पता 10–ई–42, तिलक नगर भीलवाड़ा अंकित होने से तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार श्रीमती राजकुमारी पत्नि श्री ईश्वर लाल खोईवाल ग्राम पंचायत घुमडास के वार्ड संख्या 09 ग्राम अगरपुरा में निवासरत नही होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया था। अतः उक्त अपील खारीज किया जाने का निवेदन किया गया।

8– **मैने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया किया। जिसके अनुसार पाया गया कि–** प्रार्थीया ने ग्राम अगरपुरा में निवास के संबंध में कोई दस्तावेज यथा राशन कार्ड, जनआधार कार्ड व वोटर लिस्ट की प्रतियों प्रस्तुत नहीं की। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं ग्राम अगरपुरा में निवासरत नहीं से सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (तहसीलदार) भीलवाडा ने प्रार्थीया का नाम ग्राम पंचायत धुमडास के वार्ड न0 09 अगरपुरा की निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित नहीं किये की अनुशंषा की थी। जिसके अनुसार निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ.) भीलवाडा द्वारा दिनांक 20.02.2026 को पारित आदेश विधिसम्मत पाया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 अस्वीकार की जाती हैं। निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ.) भीलवाडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक 93 दिनांक 20.02.2026 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एस.डी.ओ.) भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा